सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/ATY-3387/MH/50/2025-RU-I **दिनांक: 28.04.2026**

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

विषय: सर्वेक्षण संख्या 163 एवं सी.टी.एस. संख्या 128, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई उपनगर स्थित आदिवासी आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा, धमकी, आर्थिक शोषण एवं धोखाधड़ी के गंभीर आरोप के संदर्भ में दिनांक 02.12.2025 को श्री दिनेश अर्जुन खरपडे, मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र से प्राप्त याचिका।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री दिनेश अर्जुन खरपडे
प्लॉट नं. 18, आर.एस.सी. 4065, सेक्शन-4,
चारकोप B.H.D. बस स्टॉप, कांदिवली (वेस्ट),
मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र – 400067
मो.नं.: 9326737628

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-3387/MH/50/2025-RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

सर्वेक्षण संख्या 163 एवं सी.टी.एस. संख्या 128, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई उपनगर स्थित अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करने, विरोध एवं न्यायालय जाने पर धमकी, आर्थिक शोषण करने के संदर्भ में श्री दिनेश अर्जुन खरपडे, द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 02.12.2025 पर दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 16.03.2026
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री दिनेश अर्जुन खरपडे से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक – 02/12/2025 के अनुसार जिला मुंबई उपनगर तहसील-बोरीवली, ग्राम-कांदीवली ईस्ट में सर्वेक्षण संख्या 163 एवं सी.टी.एस. संख्या 128, क्षेत्रफल लगभग 3 एकड़ 1 गुंठा भूमि पर वर्षों से निवास एवं खेती करते रहे हैं। उनकी कृषि भूमि पर कॉनवूड एजेंसी नाम की कंपनी द्वारा जबरन कब्ज़ा कर लिया गया तथा कंपनी के सुरक्षाकर्मी श्री डी.एन. घोष द्वारा आवेदक को बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई एवं भूमि छोड़ने हेतु भयभीत किया गया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक के पिता के निधन के उपरांत कंपनी के व्यक्तियों द्वारा सहानुभूति के नाम पर धोखे से एक समझौता कराया गया, जिसके अंतर्गत ₹3 करोड़ की राशि, 2 ब्लॉक एवं 2 दुकान देने का आश्वासन दिया गया था, परंतु केवल ₹50 लाख की राशि बतौर अग्रिम प्रदान की गई तथा शेष राशि वैधानिक रूप से भूमि की विक्रय अनुमति प्राप्त होने पर प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

समझौते के उपरान्त कंपनी द्वारा भूमि पर दीवार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर कब्ज़ा कर लिया एवं विक्रय अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं करी। कम्पनी द्वारा प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य के विरुद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश (Stay Order) प्राप्त किया गया। माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा है। प्रारम्भ में कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा आवेदक को समझौते के नाम पर गुमराह किया तथा माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के उपरान्त लगातार धमकियाँ दी जा रही है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 19.12.2025 को जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, मुंबई उपनगर तथा पुलिस आयुक्त, मुंबई को नोटिस जारी किया गया था।

आयोग के नोटिस के क्रम कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुम्बई पुलिस परिमण्डल – XI से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.02.2026 एवं 06.02.2026 को आवेदक के पते पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु पता अधूरा होने के कारण सेक्टर–4, चारकोप बस डिपो क्षेत्र में पूछताछ करने पर भी आवेदक के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, आवेदन में उल्लिखित मोबाइल नंबर पर संपर्क करने का प्रयास करने पर वह नंबर किसी अन्य महिला (श्रीमती सुरेखा दावरे) का पाया गया, जो कि गलत था। फलस्वरूप, प्रशासन द्वारा यह उल्लेख किया गया कि आवेदक से संपर्क स्थापित न हो पाने के कारण आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका।

पुलिस उपायुक्त, मुम्बई पुलिस परिमण्डल – XI से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2026 के क्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16/3/2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सुनवाई आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को जिला कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्री इरेश चापलवार, तहसीलदार तथा पुलिस आयुक्त कार्यालय, मुंबई के प्रतिनिधि श्री स्वप्रिल धोंगडे, पुलिस निरीक्षक उपस्थित रहे और याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी तथा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन के द्वारा अवगत कराया गया कि विवादित भूमि (सर्वे नं. 163, सी.टी.एस. नं. 128, क्षेत्रफल लगभग 3 एकड़ 1 गुंठा) के संबंध में M/s Conwood Agencies द्वारा ₹3 करोड़ नकद, 2 फ्लैट एवं 2 दुकान देने का मौखिक आश्वासन दिया गया था, जिसमें से केवल ₹50 लाख दिए गए तथा एक सहमति पत्र (Consent Agreement) पर हस्ताक्षर करवा लिए गए।

जांच में यह भी पाया गया कि आवेदक वर्तमान में अपने मूल गांव में कृषि कार्य में संलग्न है, जिसके कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। यह तथ्य भी सामने आया कि इस प्रकरण के संबंध में आवेदक अथवा उसके परिजनों द्वारा कांडिवली पुलिस स्टेशन में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, यद्यपि जिला कलेक्टर, मुंबई उपनगर के कार्यालय में पूर्व में शिकायत की गई है।

आयोग द्वारा उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त निम्न अनुशंसाएं की जाती हैं :

1. जिला कलेक्टर मुंबई उपनगर फरियादी श्री दिनेश अर्जुन खरपडे को जिला मुंबई उपनगर तहसील-बोरीवली, ग्राम-कांदीवली ईस्ट में सर्वेक्षण संख्या 163 एवं सी.टी.एस. संख्या 128, क्षेत्रफल लगभग 3 एकड़ 1 गुंठा भूमि पर से गैर जनजातियों कंपनी M/s Conwood Agencies का कब्जा महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 के धारा 36 एवं 36 ए प्रकाश में हटाकर आवेदक श्री दिनेश अर्जुन खरपडे को आधिपत्य सौंपे एवं 15 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें।

AS

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

2. पुलिस आयुक्त मुंबई, जिला मुंबई उपनगर तहसील-बोरीवली, ग्राम-कांदीवली ईस्ट में सर्वेक्षण संख्या 163 एवं सी.टी.एस. संख्या 128, क्षेत्रफल लगभग 3 एकड़ 1 गुंठा भूमि पर से गैर जनजातियों कंपनी M/s Conwood Agencies का कब्जा भूमि पर गैर जनजातियों के अवैध कब्जे के संबंध में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(छ) के अंतर्गत, एफआईआर दर्ज कर 15 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करें।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/ATY-3387/MH/50/2025-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: सर्वेक्षण संख्या 163 एवं सी.टी.एस. संख्या 128, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई उपनगर स्थित आदिवासी आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा, धमकी, आर्थिक शोषण एवं धोखाधड़ी के गंभीर आरोप के संदर्भ में दिनांक 02.12.2025 को श्री दिनेश अर्जुन खरपडे, मुंबई उपनगर, महाराष्ट्र से प्राप्त याचिका आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, जिला-मुंबई-उप-नगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	~~रमेश चव्हाण~~	~~कार्याधिकार~~	8369401593	~~[signature]~~
2.	स्वप्नील थोंगे	पोलीस निरीक्षक	8275266565	[signature]
3.				
4.				

पुलिस आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई, महाराष्ट्र 400001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	स्वप्नील थोंगडे	पोलीस निरीक्षक	8275266565	[signature]
2.				
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				